



राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संघर्ष उत्पन्न नही होगी।

(क) विद्यालय का निर्वाह निम्नलिखित प्रकार/विधियों में रखा जायेगा।  
(ख) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वाज्ञोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा कार्रवाई नहीं किया जायेगा।

2- विद्यालय बस भी सौभाग्य विहाय सरकार का ही प्रभुत्व किया जायेगा। विद्यालय द्वारा कुल भी भूमि पर नवीन भवन का निर्माण कराते हुए एक वर्ष के भीतर शासन को सूचित किया जाये।

3- विद्यालय विद्यालयों का प्रभुत्व करना संघर्ष के लिए प्राथमिक उद्योग और विद्यालयों को प्रभुत्व प्रदान करता है। विद्यालय द्वारा उक्त विद्यालयों का प्रभुत्व किया जायेगा। उक्त प्रभुत्व करने में किसी प्रकार की पूरक या शर्तों का रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदात वित्तीय प्रभाव का प्रभुत्व ले लिया जायेगा।

स्वीकृत,

80/-

(प्रधानाचार्य)  
संयुक्त सचिव।

सुभा-संयुक्त 5311/15-7-98 तद विनांक

- निम्नलिखित विद्यालयों को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित :
- 1- विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  - 2- संयुक्त संयुक्त विद्यालय, उत्तर प्रदेश।
  - 3- विद्यालय, दिल्ली, गाजीपुर।
  - 4- विद्यालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश।
  - 5- सुभा-संयुक्त, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर।

संयुक्त से

80/-

(प्रधानाचार्य)

संयुक्त सचिव।



Principal  
Shah Faiz Public School  
Ghazipur

  
Manager CUM Secretary  
Shah Faiz Public School-GZP